


# कोल्ड-चेन परियोजनाओं के लिए स्कीम

## खेत से थाली तक



खेत के उत्पाद को उपज के बाद ताजा बनाए रखना



भारत सरकार, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से कोल्ड-चेन के विकास में सहायता करती है। लागू दरों पर 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। कोल्ड-चेन खेत से शुरू होकर उपभोक्ता के घर तक जाती है।

**आवेदन कौन करें:** निजी उद्योग, उद्यमी, सहकारी संस्थान, किसान समूह, सार्वजनिक उपक्रम।

**आवेदन कब करें:** स्कीम मांग-आधारित है तथा पूरे वर्ष आवेदन किया जा सकता है।

**आवेदन कहां करें:** अपने राज्य बागवानी विभाग के निदेशक कार्यालय में।

**घटक :** प्री-कूलर्स युक्त आधुनिक पैक-हाउस, शीत कक्ष, शीत भण्डार, रीफर व्हीकल, रीफर कंटेनर, राइपनिंग यूनिट्स आदि।

दिशा-निर्देश एवं मानक:

वेबसाइट [www.midh.gov.in](http://www.midh.gov.in) अथवा [www.nccd.gov.in](http://www.nccd.gov.in) पर देखें।

अधिक जानकारी के लिए:

अपने राज्य बागवानी विभाग के निदेशक कार्यालय से संपर्क करें।



जनहित में जारी

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
भारत सरकार